

बिहार गजट

असाधारण अंक बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

3 श्रावण 1945 (श0)

(सं0 पटना 604) पटना, मंगलवार, 25 जुलाई 2023

विधि विभाग

अधिसूचना 25 जुलाई 2023

सं० एल०जी०—01—05 / 2023—**5502** / लेज | — बिहार विधान मंडल द्वारा यथापारित का निम्नलिखित अधिनियम, जिसपर महामहिम राज्यपाल दिनांक 19 जुलाई 2023 को अनुमित दे चुके हैं, इसके द्वारा सर्व—साधारण की सूचना के लिये प्रकाशित किया जाता है ।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, रमेश चन्द मालवीय, सरकार के सचिव।

[बिहार अधिनियम 12, 2023]

बिहार माल और सेवा कर (संशोधन) अधिनियम, 2023 बिहार माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (बिहार अधिनियम 12, 2017) का संशोधन करने के लिए अधिनियम।

भारत गणराज्य के चौहत्तरवें वर्ष में बिहार राज्य विधानमंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :--

- 1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ।—
 - (1) यह अधिनियम बिहार माल और सेवा कर (संशोधन) अधिनियम, 2023 कहा जा सकेगा।
 - 2) इस अधिनियम में जैसा अन्यथा उपबंधित है उसके सिवाय, इस अधिनियम के उपबंध उस तारीख को प्रवृत्त होंगे, जो राज्य सरकार राजपत्र में, अधिसूचना द्वारा नियत करे।
- 2. धारा 10 का संशोधन।— बिहार माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (जिसे इसमें इसके पश्चात् ''मूल अधिनियम'' कहा गया है) की धारा 10 में :—
 - (क) उपधारा (2) के खंड (घ) में, ''माल या'' शब्दों का लोप किया जाएगा,
 - (ख) उपधारा (२क) के खंड (ग) में, ''माल या'' शब्दों का लोप किया जाएगा।
 - 3. **धारा 16 का संशोधन।** मूल अधिनियम की धारा 16 में, उपधारा (2) में,—
 - (i) दूसरे परन्तुक में, "उस पर ब्याज के साथ, ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, उसके आउटपुट कर दायित्व में जोड़ दिया जाएगा" शब्दों के स्थान पर, "धारा 50 के अधीन संदेय ब्याज के साथ, ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, उसके द्वारा संदत्त किया जाएगा" शब्द और अंक रखे जाएंगे;
 - (ii) तीसरे परंतुक में, ''उसके द्वारा किए गए संदाय'' शब्दों के पश्चात् ''उसके द्वारा आपूर्तिकर्ता को किए गए संदाय'' शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे।
 - **4. धारा 17 का संशोधन।** मूल अधिनियम की धारा 17 में,—
 - (क) उपधारा (3) के स्पष्टीकरण में, ''अनुसूची 3 के पैरा 5 में विनिर्दिष्ट के सिवाय उस अनुसूची में विनिर्दिष्ट कार्यकलापों या संव्यवहारों का मूल्य सिम्मिलित नहीं होगा।'' शब्दों के स्थान पर, निम्निलखित रखा जाएगा, अर्थात् :—
 - '' (i) अनुसूची 3 के पैरा 5 में विनिर्दिष्ट कार्यकलापों या संव्यवहारों का मूल्य ; और
 - (ii) अनुसूची 3 के पैरा 8 के खंड (क) के संबंध में ऐसे कार्यकलापों या संव्यवहारों का मूल्य, जो विहित किए जाए के सिवाय उस अनुसूची में विनिर्दिष्ट कार्यकलापों या संव्यवहारों का मूल्य सम्मिलित नहीं होगा",
 - (ख) उपधारा (5) के खंड (च) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--
 - "(चक) कराधेय व्यक्ति द्वारा प्राप्त किए गए माल या सेवाओं या दोनों का, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा **135** में निर्दिष्ट निगम सामाजिक उत्तरदायित्व के अधीन उसकी बाध्यताओं से संबंधित कार्यकलापों के लिए उपयोग किया जाता है या उपयोग किए जाने के लिए आशयित हैं ;"।
- 5. **धारा 23 का संशोधन।** मूल अधिनियम की धारा 23 की उपधारा (2) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा प्रतिस्थापित की जाएगी एवं दिनांक 01 जुलाई, 2017 से प्रतिस्थापित समझी जायेगी अर्थात :—
- "(2) धारा 22 की उपधारा (1) या धारा 24 में अंतर्विष्ट किसी तत्प्रतिकूल बात के होते हुये भी सरकार, परिषद की सिफारिशों पर, अधिसूचना द्वारा, ऐसी शर्तों और निर्बधनों के अधीन, जो उसमें विनिर्दिष्ट किए जाय, उन व्यक्तियों की श्रेणी निर्दिष्ट कर सकती है, जिन्हें इस अधिनियम के तहत पंजीकरण प्राप्त करने से छूट हो।"
 - 6 धारा 30 का संशोधन |- मूल अधिनियम की धारा 30 की उपधारा (1) में,-
 - (क) शब्दों ''30 दिनों के अन्दर विहित तरीके से निबंधन के रद्दीकरण आदेश के सेवा की तारीख की अवधि'' को शब्दों ''ऐसे तरीके एवं ऐसे समय और विहित शर्तों एवं प्रतिबंधों के अधीन'' से प्रतिस्थापित किया जायेगा।
 - (ख) परंतुक का लोप किया जायेगा।
- 7. **धारा 37 का संशोधन।** मूल अधिनियम की धारा 37 की उपधारा (4) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—
- ''(5) किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को उपधारा (1) के अधीन किसी कर अवधि के लिए जावक पूर्तियों के ब्यौरे, उक्त ब्यौरे प्रस्तुत करने की नियत तारीख से तीन वर्ष के अवसान के पश्चात्, प्रस्तुत करने के लिए अनुज्ञात नहीं किया जाएगा :
- परंतु सरकार, परिषद् की सिफारिशों पर, अधिसूचना द्वारा, ऐसी शर्तों और निर्बधनों के अधीन रहते हुए, जो उस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की जाएं, किसी रिजस्ट्रीकृत व्यक्ति या रिजस्ट्रीकृत व्यक्तियों के वर्ग को उपधारा (1) के अधीन किसी कर अविध के लिए जावक पूर्तियों के ब्यौरे प्रस्तुत करने के लिए उक्त ब्यौरों को प्रस्तुत करने की नियत तारीख से तीन वर्ष के अवसान के पश्चात् भी अनुज्ञात कर सकेगी।"।

- 8. **धारा 39 का संशोधन।** मूल अधिनियम की धारा 39 की उपधारा (10) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—
- ''(11) किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को, किसी कर अवधि के लिए विवरणी प्रस्तुत करने की नियत तारीख से तीन वर्ष के अवसान के पश्चात्, उक्त विवरणी प्रस्तुत करने के लिए अनुज्ञात नहीं किया जाएगा :

परंतु सरकार, परिषद् की सिफारिशों पर, अधिसूचना द्वारा, ऐसी शर्तों और निर्बधनों के अधीन रहते हुए, जो उस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की जाएं, किसी रिजस्ट्रीकृत व्यक्ति या रिजस्ट्रीकृत व्यक्तियों के वर्ग को, किसी कर अवधि के लिए विवरणी प्रस्तुत करने के लिए, उक्त विवरणी को प्रस्तुत करने की नियत तारीख से तीन वर्ष के अवसान के पश्चात् भी अनुज्ञात कर सकेगी।"।

- 9. **धारा 44 का संशोधन।** मूल अधिनियम की धारा 44 को उसकी उपधारा (1) के रूप में पुनःसंख्यांकित किया जाएगा और इस प्रकार पुनःसंख्यांकित उपधारा (1) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—
- "(2) किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को उपधारा (1) के अधीन किसी वित्तीय वर्ष के लिए वार्षिक विवरणी प्रस्तुत करने की नियत तारीख से तीन वर्ष के अवसान के पश्चात् उक्त वार्षिक विवरणी प्रस्तुत करने के लिए अनुज्ञात नहीं किया जाएगा :

परंतु सरकार, परिषद की सिफारिशों पर, अधिसूचना द्वारा ऐसी शर्तों और निर्बधनों के अधीन रहते हुए, जो उस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की जाएं, किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति या रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के वर्ग को, उपधारा (1) के अधीन वित्तीय वर्ष के लिए वार्षिक विवरणी प्रस्तुत करने के लिए उक्त वार्षिक विवरणी को प्रस्तुत करने की नियत तारीख से तीन वर्ष के अवसान के पश्चात् भी अनुज्ञात कर सकेगी।"।

- 10. **धारा 52 का संशोधन।** मूल अधिनियम की धारा 52 की उपधारा (14) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—
- ''(15) किसी प्रचालक को, उपधारा (4) के अधीन विवरण प्रस्तुत करने की नियत तारीख से तीन वर्ष के अवसान के पश्चात् उक्त विवरण प्रस्तुत करने के लिए अनुज्ञात नहीं किया जाएगा :

परंतु सरकार, परिषद् की सिफारिशों पर, अधिसूचना द्वारा, ऐसी शर्तों और निर्बधनों के अधीन रहते हुए, जो उस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की जाएं, किसी प्रचालक या प्रचालकों के वर्ग को उपधारा (4) के अधीन विवरण प्रस्तुत करने के लिए नियत तारीख से तीन वर्ष की अविध के अवसान के पश्चात् भी उक्त विवरण प्रस्तुत करना अनुज्ञात कर सकेगी।"।

- 11. **धारा 54 का संशोधन।** मूल अधिनियम की धारा 54 की उपधारा (6) में, ''जिसके अंतर्गत अंतिमतः स्वीकृत इनपुट कर प्रत्यय की रकम नहीं है,'' शब्दों का लोप किया जाएगा।
- 12. **धारा 56 का संशोधन।** मूल अधिनियम की धारा 56 में, ''आवेदन की प्राप्ति की तारीख से साठ दिनों के पश्चात् की तारीख से ऐसे कर का प्रतिदाय करने की तारीख तक'' शब्दों के स्थान पर ''आवेदन की प्राप्ति की तारीख से साठ दिनों के पश्चात् की तारीख से हुए विलम्ब की अविध के लिए, ऐसी रीति से एवं ऐसी शर्तों एवं निर्बंधनों के अधीन रहते हुए जो विहित की जायें,'' शब्द रखे जाएंगे।
 - 13. धारा 62 का संशोधन |-मूल अधिनियम की धारा 62 की उपधारा (2) में,-
 - (क) शब्द ''तीस दिन'' को शब्द ''साठ दिन'' से प्रतिस्थापित किया जाएगा;
 - (ख) निम्नलिखित परन्तुक को अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात:-

"परंतु यह कि जहाँ निबंधित व्यक्ति उपधारा (1) के अधीन कर निर्धारण आदेश के संसूचन के साठ दिनों के अन्दर वैध विवरणी दाखिल करने में विफल रहा हो, वहाँ वह उक्त विवरणी उक्त कर निर्धारण के संसूचन के साठ दिनों के पश्चात् अगले साठ दिनों की अवधि तक ऐसे विलम्ब की अवधि हेतु एक सौ रूपये प्रतिदिन के अतिरिक्त विलम्ब शुल्क के साथ दाखिल कर सकेगा एवं यदि वह इस विस्तारित अवधि की समाप्ति के पूर्व वैध विवरणी दाखिल कर देता है तो उक्त कर निर्धारण आदेश को वापस लिया जाना माना जाएगा परंतु अधिनियम की धारा 50 की उपधारा (1) के अधीन ब्याज भुगतान करने अथवा अधिनियम की धारा 47 के अधीन विलम्ब शुल्क का दायित्व लागू रहेंगे।"।

- **14. धारा 109 के स्थान पर नई धारा का प्रतिस्थापन।**—मूल अधिनियम की धारा 109 के स्थान पर निम्न धारा प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात:—
 - "109. अपीलीय न्यायाधिकरणों और उनकी पीठों का गठन।—इस अध्याय के प्रावधानों के अध्यधीन, केन्द्रीय माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 के अन्तर्गत गठित माल एवं सेवा कर न्यायाधिकरण इस अधिनियम के तहत अपीलीय प्राधिकरण या पुनरीक्षण प्राधिकरण द्वारा पारित आदेशों के खिलाफ अपीलों की सुनवाई के लिये अपीलीय न्यायाधिकरण होगा।"
 - 15. **धारा 110 एवं 114 का लोप।** मूल अधिनियम की धारा 110 एवं धारा 114 का लोप किया जाएगा।
 - 16. **धारा 117 का संशोधन।** मूल अधिनियम की धारा 117 में,—
 - (क) उपधारा (1) में शब्दों ''राज्य पीठ या अपीलीय प्राधिकरण की क्षेत्रीय पीठों'' के स्थान पर शब्द ''राज्य पीठों'' शब्द प्रतिस्थापित किये जाएगें।
 - (ख) उपधारा (5) के खंड (क) एवं (ख) में शब्दों ''राज्य पीठ एवं क्षेत्रीय पीठों' के स्थान पर शब्द ''राज्य पीठों'' प्रतिस्थापित किया जाएगा।

- 17. **धारा 118 का संशोधन।** मूल अधिनियम की धारा 118 की उपधारा (1) के खंड (क) में शब्दों ''राष्ट्रीय पीठ या अपीलीय प्राधिकरण की प्रांतीय पीठों' के स्थान पर शब्द ''प्रधान पीठ'' प्रतिस्थापित की जाएगी।
 - 18. **धारा 119 का संशोधन।** मूल अधिनियम की धारा 119 में,—
 - (क) शब्दों ''राष्ट्रीय या प्रांतीय पीठों'' के स्थान पर शब्द ''प्रधान पीठ'' प्रतिस्थापित की जाएगी।
 - (ख) शब्दों 'राज्य पीठों या क्षेत्रीय पीठों'' के स्थान पर शब्द ''राज्य पीठों'' प्रतिस्थापित किया जाएगा।
- 19. **धारा 122 का संशोधन।** मूल अधिनियम की धारा 122 में, उपधारा (1क) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

"(1ख) कोई इलैक्ट्रॉनिक वाणिज्य प्रचालक, जो -

- (i) इस अधिनियम के अधीन जारी अधिसूचना द्वारा रजिस्ट्रीकरण से छूट प्राप्त व्यक्ति से भिन्न किसी अरजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को इसके माध्यम से माल या सेवाओं या दोनों की पूर्ति करने के लिए अनुज्ञात करता है:
- (ii) इसके माध्यम से किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा माल या सेवाओं या दोनों की अंतर्राज्यिक पूर्ति अनुज्ञात करता है, जो ऐसी अंतर्राज्यिक पूर्ति करने के लिए पात्र नहीं है ; या
- (iii) इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकरण प्राप्त करने से छूट प्राप्त व्यक्ति द्वारा इसके माध्यम से की गई माल की किसी जावक पूर्ति के सही ब्यौरे धारा 52 की उपधारा (4) के अधीन प्रस्तुत किए जाने वाले विवरण में प्रस्तुत करने में विफल रहता है,

तो वह दस हजार रूपए या अंतर्विलत कर की रकम, यदि ऐसी पूर्ति धारा 10 के अधीन कर संदाय करने वाले व्यक्ति से भिन्न किसी रिजस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा की गई होती, के समतुल्य रकम, जो भी उच्चतर हो, की शास्ति का संदाय करने का दायी होगा ।"।

- 20. धारा 132 का संशोधन |- मूल अधिनियम की धारा 132 की उपधारा (1) में,-
 - (क) खंड (छ), खंड (ञ) और खंड (ट) का लोप किया जाएगा :
 - (ख) खंड (ठ) में, ''खंड (क) से खंड (ट)'' शब्दों, कोष्ठकों और अक्षरों के स्थान पर, ''खंड (क) से खंड (च) और खंड (ज) तथा खंड (झ)'' शब्द, कोष्ठक और अक्षर रखे जाएंगे;
 - (ग) खंड (iii) में, ''जहां कर अपवंचन'' शब्दों के स्थान पर, ''खंड (ख) में विनिर्दिष्ट किसी अपराध की दशा में, जहां कर अपवंचन'' शब्द, कोष्ठक और अक्षर रखे जाएंगे ;
 - (घ) खंड (iv) में, ''या खंड (छ) या खंड (ञ)'' शब्दों, कोष्ठकों और अक्षरों का लोप किया जाएगा।
- 21. धारा 138 का संशोधन |- मूल अधिनियम की धारा 138 में,-
 - (क) उपधारा (1) के पहले परंतुक में,-
 - (i) खंड (क) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :— ''(क) किसी व्यक्ति, जिसे धारा 132 की उपधारा (1) के खंड (क) से खंड (च), खंड (ज) और खंड (झ) तथा खंड (ठ) में विनिर्दिष्ट अपराधों में से किन्हीं के संबंध में शमन के लिए एक बार अनुज्ञात किया गया है;'',
 - (ii) खंड (ख) का लोप किया जाएगा;
 - (iii) खंड (ग) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :-''(ग) कोई व्यक्ति, जो धारा 132 की उपधारा (1) के खंड (ख) के अधीन कोई अपराध करने का अभियुक्त रहा है ;'',

(iv) खंड (ङ) का लोप किया जाएगा ;

- (ख) उपधारा (2) में "न्यूनतम दस हजार रूपए या अंतर्वलित कर के पचास प्रतिशत से, इनमें से जो भी उच्चतर हों, के अधीन रहते हुए और अधिकतम रकम तीस हजार रूपए या कर के एक सौ पचास प्रतिशत, इनमें से जो भी उच्चतर हो," शब्दों के स्थान पर "अंतर्वलित कर के पच्चीस प्रतिशत और अधिकतम रकम अंतर्वलित कर के सौ प्रतिशत से अनिधक" शब्द रखे जाएंगे।
- 22. **नई धारा 158क का अंतःस्थापन।** मूल अधिनियम की धारा 158 के पश्चात्, निम्नलिखित धारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात्ः—
- "158क. कराधेय व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत की गई सूचना को सम्मित के आधार पर साझा करना (1) धारा 133, धारा 152 और धारा 158 में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, किसी रिजस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत निम्नलिखित ब्यौरों को, उपधारा (2) के उपबंधों के अधीन रहते हुए तथा, परिषद् की सिफारिशों पर, ऐसी रीति में और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जो विहित की जाएं, सामान्य पोर्टल द्वारा सरकार द्वारा अधिसूचित ऐसी अन्य प्रणालियों के साथ, साझा किया जा सकेगा, अर्थात् :—
 - (क) धारा 25 के अधीन रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन में प्रस्तुत या धारा 39 या धारा 44 के अधीन दाखिल की गई विवरणी में प्रस्तुत की गयी विशिष्टियाँ;

- (ख) बीजक के सृजन के लिए सामान्य पोर्टल पर अपलोड की गई विशिष्टियाँ, धारा 37 के अधीन प्रस्तुत जावक पूर्तियों के ब्यौरे और धारा 68 के अधीन दस्तावेजों के सृजन के लिए सामान्य पोर्टल पर अपलोड की गई विशिष्टियाँ;
- (ग) ऐसे अन्य ब्यौरे, जो विहित किए जाएं।
- (2) उपधारा (1) के अधीन ब्यौरों को साझा करने के प्रयोजनों के लिए,-
 - (क) उपधारा (1) के खंड (क), खंड (ख) और खंड (ग) के अधीन प्रस्तुत ब्यौरों के संबंध में पूर्तिकर्ता की सहमति; और
 - (ख) उपधारा (1) के खंड (ख) के अधीन और उपधारा (1) के खंड (ग) के अधीन प्रस्तुत ब्यौरों के संबंध में प्राप्तिकर्ता की सहमति केवल जहां ऐसे ब्यौरों के अंतर्गत प्राप्तिकर्ता की पहचान संबंधी जानकारी भी है,

ऐसे प्ररूप और रीति में अभिप्राप्त की जाएगी, जो विहित की जाए।

- (3) तत्समय प्रवृत्त किसी विधि में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, इस धारा के अधीन साझा की गई जानकारी के पारिणामिक उद्भूत होने वाले किसी दायित्व के संबंध में सरकार या सामान्य पोर्टल के विरूद्ध कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी तथा सुसंगत पूर्ति पर या सुसंगत विवरणी के अनुसार कर संदाय करने के दायित्व पर कोई प्रभाव नहीं होगा।"।
- 23. **मूल अधिनियम की अनुसूची 3 में कितपय क्रियाकलापों और संव्यवहारों के लिए भूतलक्षी छूट** |— मूल अधिनियम की अनुसूची 3 के पैरा 7 और पैरा 8 और उसके स्पष्टीकरण 2 (बिहार अधिनियम 14, 2018, की धारा 31 द्वारा यथा अंतःस्थापित) को 1 जुलाई, 2017 से अंतःस्थापित किया गया समझा जाएगा।
 - (2) ऐसे सभी कर का कोई प्रतिदाय नहीं किया जाएगा, जिसे संग्रहित किया गया है किन्तु जिसे संग्रहित नहीं किया गया होता यदि उपधारा (1) सभी तात्विक समयों पर प्रवृत हुई होती।

रमेश चन्द मालवीय, सरकार के सचिव।

25 जुलाई 2023

सं० एल०जी०-01-05/2023-**5503/लेज**—बिहार विधान मंडल द्वारा यथापारित और महामहिम राज्यपाल द्वारा दिनांक 19 जुलाई 2023 को अनुमत **बिहार माल और सेवा कर (संशोधन) अधिनियम, 2023** (**बिहार अधिनियम 12, 2023**) का निम्नलिखित अंग्रेजी अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जिसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन उक्त अधिनियम का अंग्रेजी भाषा में प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा ।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, रमेश चन्द मालवीय, सरकार के सचिव।

[Bihar Act 12, 2023] THE BIHAR GOODS AND SERVICES TAX (AMENDMENT) ACT, 2023 AN ACT

to amend the Bihar Goods and Services Tax Act, 2017(Bihar Act 12 of 2017).

BE it enacted by the Legislature of the State of Bihar in the Seventy-Fourth Year of the Republic of India as follows:-

- 1. Short title and commencement.—
 - (1) This Act may be called the Bihar Goods and Services Tax (Amendment) Act, 2023.
 - (2) Save as otherwise provided, the provisions of this Act shall come into force on such date as the State Government may, by notification in the Official Gazette, appoint:
- **2.** Amendment of section 10.—In the Bihar Goods and Services Tax Act, 2017 (hereinafter referred to as the principal Act), in section 10,—
 - (a) in sub-section (2), in clause (d), the words "goods or" shall be omitted;
 - (b) in sub-section (2A), in clause (c), the words "goods or" shall be omitted.

- 3. Amendment of section 16.—In section 16 of the principal Act, in sub-section (2),
 - (i) in the second proviso, for the words "added to his output tax liability, along with interest thereon", the words and figures "paid by him along with interest payable under section 50" shall be substituted;
 - (ii) in the third proviso, after the words "made by him", the words "to the supplier" shall be inserted.
- **4.** Amendment of section 17.—In section 17 of the principal Act,
 - (a) in sub-section (3), in the Explanation, for the words and figure "except those specified in paragraph 5 of the said Schedule", the following shall be substituted, namely:—

"except,—

- (i) the value of activities or transactions specified in paragraph 5 of the said Schedule; and
- (ii) the value of such activities or transactions as may be prescribed in respect of clause (a) of paragraph 8 of the said Schedule.";
- (b) in sub-section (5), after clause (f), the following clause shall be inserted, namely:—
 - "(fa) goods or services or both received by a taxable person, which are used or intended to be used for activities relating to his obligations under corporate social responsibility referred to in section 135 of the Companies Act, 2013;".
- **5.** Amendment of section 23.—In section 23 of the principal Act, for sub-section (2), the following sub-section shall be substituted and shall be deemed to have been substituted with effect from the 1st day of July, 2017, namely:—
 - "(2) Notwithstanding anything to the contrary contained in sub-section (1) of section 22 or section 24, the Government may, on the recommendations of the Council, by notification, subject to such conditions and restrictions as may be specified therein, specify the category of persons who may be exempted from obtaining registration under this Act.".
- **6.** Amendment of section 30.—In section 30 of the principal Act, for sub-section (1),—
 - (a) for the words "the prescribed manner within thirty days from the date of service of the cancellation order:", the words "such manner, within such time and subject to such conditions and restrictions, as may be prescribed." shall be substituted;
 - (b) the proviso shall be omitted.
- 7. Amendment of section 37.—In section 37 of the principal Act, after sub-section (4), the following sub-section shall be inserted, namely:—
 - "(5) A registered person shall not be allowed to furnish the details of outward supplies under sub-section (I) for a tax period after the expiry of a period of three years from the due date of furnishing the said details:

Provided that the Government may, on the recommendations of the Council, by notification, subject to such conditions and restrictions as may be specified therein, allow a registered person or a class of registered persons to furnish the details of outward supplies for a tax period under sub-section (1), even after the expiry of the said period of three years from the due date of furnishing the said details."

- **8.** Amendment of section 39.—In section 39 of the principal Act, after sub-section (10), the following sub-section shall be inserted, namely
 - "(11) A registered person shall not be allowed to furnish a return for a tax period after the expiry of a period of three years from the due date of furnishing the said return:

Provided that the Government may, on the recommendations of the Council, by notification, subject to such conditions and restrictions as may be specified therein, allow a registered person or a class of registered persons to furnish the return for a tax period, even after the expiry of the said period of three years from the due date of furnishing the said return."

- **9.** Amendment of section 44.—Section 44 of the principal Act shall be renumbered as sub-section (1) thereof, and after sub-section (1) as so renumbered, the following sub-section shall be inserted, namely:—
 - "(2) A registered person shall not be allowed to furnish an annual return under sub-section (I) for a financial year after the expiry of a period of three years from the due date of furnishing the said annual return:

Provided that the Government may, on the recommendations of the Council, by notification, and subject to such conditions and restrictions as may be specified therein, allow a registered person or a class of registered persons to furnish an annual return for a financial year under sub-section (1), even after the expiry of the said period of three years from the due date of furnishing the said annual return."

- 10. Amendment of section 52.—In section 52 of the principal Act, after sub-section (14), the following sub-section shall be inserted, namely:—
 - "(15) The operator shall not be allowed to furnish a statement under subsection (4) after the expiry of a period of three years from the due date of furnishing the said statement:

Provided that the Government may, on the recommendations of the Council, by notification, subject to such conditions and restrictions as may be specified therein, allow an operator or a class of operators to furnish a statement under sub-section (4), even after the expiry of the said period of three years from the due date of furnishingthe said statement.".

- **11.** Amendment of section 54.—In section 54 of the principal Act, in sub-section (6), the words "excluding the amount of input tax credit provisionally accepted," shall be omitted.
- 12. Amendment of section 56.—In section 56 of the principal Act, for the words "from the date immediately after the expiry of sixty days from the date of receipt of application under the said sub-section till the date of refund of such tax", the words "for the period of delay beyond sixty days from the date of receipt of such application till the date of refund of such tax, to be computed in such manner and subject to such conditions and restrictions as may be prescribed" shall be substituted.
- **13.** Amendment of section 62.—In section 62 of the principal Act, in sub-section (2),—
 - (a) for the words "thirty days", the words "sixty days" shall be substituted;
 - (b) the following proviso shall be inserted, namely:—

"Provided that where the registered person fails to furnish a valid return within sixty days of the service of the assessment order under subsection (I), he may furnish the same within a further period of sixty days on payment of an additional late fee of one hundred rupees for each day of delay

beyond sixty days of the service of the said assessment order and in case he furnishes valid return within such extended period, the said assessment order shall be deemed to have been withdrawn, but the liability to pay interest under sub-section (1) of section 50 or to pay late fee under section 47 shall continue."

- **14.** Substitution of new section for section 109. –For section 109 of the principal Act, the following section shall be substituted, namely:—
 - **"109.** Constitution of Appellate Tribunal and Benches thereof—Subject to the provisions of this Chapter, the Goods and Services Tax Tribunal constituted under the Central Goods and Services Tax Act, 2017 shall be the Appellate Tribunal for hearing appeals against the orders passed by the Appellate Authority or the Revisional Authority under this Act.
- **15.** *Omission of sections 110 and 114.*—Section 110 and Section 114 of the principal Act shall be omitted.
- **16.** Amendment of section 117.—In section 117 of the principal Act,
 - in sub-section (1), for the words "State Bench or Area Benches", the words "State Benches" shall be substituted;
 - (b) in sub-section (5), in clauses (a) and (b), for the words "State Bench or Area Benches", the words "State Benches" shall be substituted.
- 17. Amendment of section 118.—In section 118 of the principal Act, in sub-section (1), in clause (a), for the words "National Bench or Regional Bench", the words "Principal Bench" shall be substituted.
- **18.** Amendment of section 119.—In section 119 of the principal Act,—
 - (a) for the words "National or Regional Benches", the words "Principal Bench" shall be substituted;
 - (b) for the words "State Bench or Area Benches", the words "State Benches" shall be substituted.
- 19. Amendment of section 122.—In section 122 of the principal Act, after sub-section (1A), the following sub-section shall be inserted, namely:—
 "(1B) Any electronic commerce operator who
 - allows a supply of goods or services or both through it by an unregistered person other than a person exempted from registration by a notification issued under this Act to make such supply;
 - (ii) allows an inter-State supply of goods or services or both through it by a person who is not eligible to make such inter-State supply; or
 - fails to furnish the correct details in the statement to be furnished under sub-section (4) of section 52 of any outward supply of goods effected through it by a person exempted from obtaining registration under this Act, shall be liable to pay a penalty of ten thousand rupees, or an amount equivalent to the amount of tax involved had such supply been made by a registered person other than a person paying tax under section 10, whichever is higher."
- **20.** Amendment of section 132.—In section 132 of the principal Act, in sub-section (1),—
 - (a) clauses (g), (j) and (k) shall be omitted;
 - (b) in clause (l), for the words, brackets and letters "clauses (a) to (k)", the words, brackets and letters "clauses (a) to (f) and clauses (h) and (i)" shall be substituted;

- (c) in clause (*iii*), for the words "any other offence", the words, brackets and letter"an offence specified in clause (b)," shall be substituted;
- (d) in clause (*iv*), the words, brackets and letters "or clause (*g*) or clause (*j*)" shall be omitted.
- **21**. **Amendment of section 138.-** In section 138 of the principal Act,—
 - (a) in sub-section (1), in the first proviso,—
 - (i) for clause (a), the following clause shall be substituted, namely:—
 "(a) a person who has been allowed to compound once in respect of any of the offences specified in clauses (a) to (f), (h), (i) and (l) of sub-section (l) of section 132;";
 - (ii) clause (b) shall be omitted;
 - (iii) for clause (c), the following clause shall be substituted, namely:—
 "(c) a person who has been accused of committing an offence under clause (b) of sub-section (1) of section 132;";
 - (iv) clause (e) shall be omitted;
 - (b) in sub-section (2), for the words "ten thousand rupees or fifty per cent. of the tax involved, whichever is higher, and the maximum amount not being less than thirty thousand rupees or one hundred and fifty per cent. of the tax, whichever is higher", the words "twenty-five per cent. of the tax involved and the maximum amount not being more than one hundred per cent. of the tax involved" shall be substituted.
- 22. Insertion of new section 158A.- After section 158 of the principal Act, the following section shall be inserted, namely:—
 - "158A. Consent based sharing of information furnished by taxable person.—
 - (1) Notwithstanding anything contained in sections 133, 152 and 158, the following details furnished by a registered person may, subject to the provisions of sub-section (2), and on the recommendations of the Council, be shared by the common portal with such other systems as may be notified by the Government, in such manner and subject to such conditions as may be prescribed, namely:—
 - (a) particulars furnished in the application for registration under section 25 or in the return filed under section 39 or under section 44;
 - (b) the particulars uploaded on the common portal for preparation of invoice, the details of outward supplies furnished under section 37 and the particulars uploaded on the common portal for generation of documents under section 68;
 - (c) such other details as may be prescribed.
 - (2) For the purposes of sharing details under sub-section (1), the consent shall be obtained, of—
 - (a) the supplier, in respect of details furnished under clauses (a),
 (b) and (c) of sub-section (1); and
 - (b) the recipient, in respect of details furnished under clause (b) of sub-section (l), and under clause (c) of sub-section (l) only where such details include identity information of the recipient, in such form and manner as may be prescribed.

(3) Notwithstanding anything contained in any law for the time being in force, no action shall lie against the Government or the common portal with respect to any liability arising consequent to information shared under this section and there shall be no impact on the liability to pay tax on the relevant supply or as per the relevant return.".

23. Retrospective exemption to certain activities and transactions in schedule III to the principal Act.—

- (1) In Schedule III to the principal Act, paragraphs 7 and 8 and the *Explanation* 2 thereof (as inserted *vide* section 32 of Bihar Act 14, 2018) shall be deemed to have been inserted therein with effect from the 1st day of July, 2017.
- (2) No refund shall be made of all the tax which has been collected, but which would not have been so collected, had sub-section (1) been in force at all material times.

Ramesh Chand Malviya, *Secretary*.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित। बिहार गजट (असाधारण)604-571+400-डी0टी0पी0।

Website: http://egazette.bih.nic.in